

रैशिंश के लिए निर्धारित दण्ड निलम्बन व निष्काशन व डिग्री का २दद् होना और दण्डात्मक कार्यवाही

शूचित करें

शिकायत लिखित २०प में महाविद्यालय की शिकायत पेटी में डालें

क नजदीकी पी.शी.आर वैन को शूचित करें

े विश्वविद्यालय शूचना केन्द्र पर शूचित करें (शोमवार शे शुक्रवार) प्रातः 9.00 बजे शे शांय 5.30 तक

🗽 पुन्टी-रैशिंश / हिम्मत पुप का प्रयोश करें।

र्क्क इं-मेल करें : proctor@du.ac.in helpline@antiragging.in infocentre@du.ac.in

सम्पर्क करें

2766 7221

2411 9832

= 2700 6900

= 1800-180-5522

= 100

संयुक्त नियंत्रण कक्ष (उत्तरी परिसर)

शंयुक्त नियंत्रण कक्ष (दक्षिणी परिशर)

विश्वविद्यालय शूचना केन्द्र (प्रातः 9.00 बजे से सांय 5.30 तक)

यू.जी.शी. एन्टी-रैशिंश शहायता दूरभाष (टोल-फ्री-24×7)

पुलिश

विल्ली विश्वविद्यालय के किशी भी परिशर, महाविद्यालय, विभाग, छात्रावास, संस्थान में रैंगिंग किशी भी प्रकार से पूर्णतः निषेध है।



कुलानुशासक कार्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, सम्मेलन केन्द्र, प्रथम मंजिल, दिल्ली-110007,